न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13 / 23 वाद GCMS NO : 2023/00075

पूर्व प्रकरण संख्या : 39 / 17

श्री शिवलाल गायरी (धनकर) पिता स्व. श्री जवेरीलाल जी गायरी आयु 5 वर्ष, निवासी–73. कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्री पुष्पेन्द्र पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी,
2. श्री राजू पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी मृतक के बजाय :–
   2 / 1. श्रीमती सुगना पत्नि स्व. श्री राजू गायरी
3. श्रीमती श्यामाबाई पत्नी स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी,
4. श्रीमती रेखा पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी,
5. श्रीमती मीना पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी,
   सर्वनिवासीयान् 1420, हनुमान भाग कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर
6. श्रीमती हेलीबाई पत्नी श्री प्यारेलाल जी पूर्विया (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी कृष्णा विहार, कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
7. श्रीमती मोवनी पत्नी श्री बाबुलाल जी गायरी (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी कृष्णा विहार, कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
8. श्रीमती अंशी पूर्बिया पत्नी श्री ख्यालीलाल जी पूर्विया (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी ग्राम खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

.......प्रतिवादीगण

<u>**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम**</u>

उपस्थितः– श्री रोशनलाल जैन अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 27.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि [illegible] ने [illegible] वाद अन्तर्गत धारा 188 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह [illegible]वेदन किया है कि राजस्व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

तितरडी तहसील गिर्वा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, सवीना, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के खाता संख्या नयी 452, पुरानी 424 होकर खसरा संख्या 265 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर स्थित है एवम् वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के नाम दर्ज है। वाद आराजियात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक की मौरूसी होकर हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है तथा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ वादी का बराबर हक व हिस्से में होकर अपने हिस्सेनुसार संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। वादग्रस्त आराजियात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की अविभाजित तक सम्पत्ति होकर उनके पूर्वाधिकारी स्व० श्री जवेरीलाल के वक्त से चली आ रही है, बादी एवं स्व. श्री जवेरीलाल जी के जायन्दा कुल पाँच पुत्र पुत्री हुये है जिनका बराबर का हक व हिस्सा कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में निहित हैं इस अनुसार वादी का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कुल 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 8 प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा बराबर निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का वादग्रस्त आराजियात् में 1/25 वां हिस्सा निहित है। वादी के स्व. पिता श्री जवेरीलाल जी के संयुक्त खाते में उनके भाई बलदेव जी, तेजराम जी, जवेरीलाल जी पिता टेकचन्द एवं सुखलाल जी पिता श्री नारूलाल जी के नाम राजस्व ग्राम तितरडी तहसील गिर्वा उदयपुर के साबिक अराजी संख्या 67, 68, 69 रकबा 13 बीघा एक बिस्वा कृषि भूमि थी, जिसमें अपीलार्थी के पिता स्व० जवेरीलाल जी का एक चौथाई हिस्सा निहित था, उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 312 दिनांक 24–08–1966 से श्री बलदेव, श्री तेजराम जी, जवेरीलाल पिता टेकचन्द एवं सुखलाल पिता नारूलाल जी के नाम दर्ज की गयी। स्व. श्री जवेरीलाल जी की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा दिनांक 24–04–1972 को विरासत से वादी के बड़े भाई स्व. श्री शम्भुलाल जी के नाम वादग्रस्त आराजियात् का नामान्तकरण खोला गया जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 8 भी स्व. श्री जवेरीलाल जी के जायन्दा पुत्र–पुत्री होने से सम्पत्ति में बराबर का हक–हकुक निहित है। ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा दिनांक 24–04–1972 को स्व० श्री जवेरीलाल जी की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरण केवलमात्र स्व. श्री शम्भुलाल जी के नाम खोला गया जो कि न्याय के प्राकृतिक एवं विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत है। वादी के बड़े भाई श्री शम्भुलाल जी का देहान्त का दिनांक 28–01–1993 की होने के पश्चात् नामाकरण संख्या 896 के तहत् शम्भुलाल जी के पुत्र–पत्नी–पुत्रियां के नाम खोला गया जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा अपने नाम पर गलत नामान्तकरण के आधार पर आयी भूमि को हस्तान्तरण करने अर्थात् विक्रय करने पर आमादा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारी पर विपरीत असर पड़ रहा है ऐसी स्थिति में उसे हिस्से अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कराया जाना तथा वादी के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वह वादी के संयुक्त उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं यह कार्य वह स्वयं न करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट, आदि से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज है। दिनांक 24.08.1966 से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के दादा जी के नाम पर वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज हुई। उसके पश्चात् दिनांक 24.04.1972 को जवेरी लाल जी की मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय श्री शम्भूलाल जी के नाम आराजियात का नामान्तरण खोला गया तब से लगाकर आज तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का ही निर्बाद्ध रूप से कब्जा चला आ रहा है। विगत 45 वर्षो से उक्त कृषि भूमि पर हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का तथा उससे पूर्व हमारे स्वर्गीय पिता जी शम्भूलाल जी गायरी का कब्जा चला आ रहा था जिसकी जानकारी वादी को प्रारम्भ से ही थी परन्तु वादी इतने वर्षों बाद उक्त वाद लेकर आया है जो मयाद से बाहर है। कभी भी वादी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा रहा और न ही कभी वादी के नाम पर ही वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 निरन्तर एवं निर्बाद्ध रूप से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर खेतीबाडी कर रहे है तथा मकानात भी बना रखे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वर्ष 1998 में उक्त कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेचा था जिसकी जानकारी भी वादी को थी तब भी वादी ने कोई विरोध उत्पन्न नहीं किया था। बादी को यह भी था कि वर्ष 1968 में प्रतिवादी 1 से 5 ने वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया। अतः निवेदन है कि जवाब दावा प्रतिवादी 1 लगायत 5 स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा तस्दीक करने बाबत् पेश कर निवेदन किया गया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनाम हो गया है। जिसके तहत् वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हिस्सा रहेगा एवम् प्रतिवादी संख्या 6 से 7 अपना हक व हिस्सा त्याग रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 भविष्य में वाद में वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं करेंगे। श्रीमती श्यामा बाई पत्नि स्वर्गीय श्री शम्भुलाल जी गायरी एवं राजु पिता शम्भुलाल जी गायरी का निधन हो गया है एवं राजु की पत्नि सुगना उक्त प्रकरण में कायम मुकाम हो गई है।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा को तस्दीक कर पढ़कर सुनाया गया। राजीनाम पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। वाद सभी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में भाई बहिन है तथा वादग्रस्त आराजीयात भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमि है। प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती श्रीमती श्यामा बाई पत्नि स्वर्गीय श्री शम्भुलाल जी गायरी एवं प्रतिवादीसंख्या 2 राजु पिता शम्भुलाल जी गायरी का निधन हो गया है एवं राजु की पत्नि सुगना को रकार्ड पर लिया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 अपना हक व हिस्सा राजीनाम के तहत् त्याग दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम तितरडी तहसील गिर्वा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, सवीना, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के खाता संख्या नयी 452, पुरानी 424 होकर खसरा संख्या 265 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर भूमि राजीनामे के आधार पर वादी शिवलाल गायरी (धनकर) पिता स्व. श्री जवेरीलाल जी गायरी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुष्पेन्द्र पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, प्रतिवादी संख्या 2 राजू पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी मृतक के बजाय 2/1 श्रीमती सुगना पत्नि स्व. श्री राजू गायरी प्रतिवादी संख्या 3 श्यामाबाई पत्नी स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती रेखा पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी को 1/2 हिस्सा तय किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनाम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 13/23 सन 2023 अनवान श्री शिवलाल गायरी (धनकर) पिता स्व. श्री जवेरीलाल जी गायरी आयु 5 वर्ष, निवासी–73. कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री पुष्पेन्द्र पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, (2) श्री राजू पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी मृतक के बजाय :– (2/1) श्रीमती सुगना पत्नि स्व. श्री राजू गायरी (3) श्रीमती श्यामाबाई पत्नी स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, (4) श्रीमती रेखा पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, (5) श्रीमती मीना पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, सर्वनिवासीयान् 1420, हनुमान भाग कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (6) श्रीमती हेलीबाई पत्नी श्री प्यारेलाल जी पूर्विया (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी कृष्णा विहार, कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (7) श्रीमती मोवनी पत्नी श्री बाबुलाल जी गायरी (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी कृष्णा विहार, कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (8) श्रीमती अंशी पूर्बिया पत्नी श्री ख्यालीलाल जी पूर्विया (पुत्री स्व० श्री जवेरीलाल जी) निवासी ग्राम खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (9) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री रोशनलाल जैन अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम तितरडी तहसील गिर्वा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, सवीना, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के खाता संख्या नयी 452, पुरानी 424 होकर खसरा संख्या 265 कुल क्षेत्रफल 0.3000 हैक्टयर भूमि राजीनामे के आधार पर वादी शिवलाल गायरी (धनकर) पिता स्व. श्री जवेरीलाल जी गायरी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुष्पेन्द्र पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी, प्रतिवादी संख्या 2 राजू पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी मृतक के बजाय 2/1 श्रीमती सुगना पत्नि स्व. श्री राजू गायरी प्रतिवादी संख्या 3 श्यामाबाई पत्नी स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती रेखा पिता स्व. श्री शम्भुलाल जी गायरी को 1/2 हिस्सा तय किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनाम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....27...............माह ....5..सन् ....24......... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर	—	—	मेहनताना वकील) पर	—	—
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.31 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested